न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 36/2021

इस्लाम पुत्र मुद्दन जाति मेव निवासी ग्राम थलचाना तहसील पहाडी (भरतपुर)
प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी (भरतपुर)
2. हसमल पुत्र भागमल जाति मेव निवासी ग्राम थलचाना तहसील पहाडी
अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री सतीश बुन्देला वकील प्रार्थी
2. श्री जगदीश सिंह लोधा अप्रार्थी संख्या 2

दिनांक :–22/02/2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी का नया खसरा नम्बर 2706/2952/0.82 जिसका साविक खसरा नम्बर 2563 मिन/0.81 है तथा अप्रार्थी संख्या 2 का हाल खसरा नम्बर 2706/1.33 जिसका साविक खसरा नम्बर 2563मिन/1.33 हैक्टर है जो बांके ग्राम बमनवाडी तहसील पहाडी में स्थित है। मौका व कब्जा काश्त के आधार पर प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 2706/2952/0.82 दक्षिण दिशा में व उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 आराजी खसरा नम्बर 2706/1.33 पर कब्जा काश्त मौके के अनुसार है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 अपने–अपने हिस्से के मुताबिक कब्जा काश्त मौके पर आज भी व्यवस्थित है तथा प्रार्थी दक्षिण दिशा अप्रार्थी संख्या 2 उत्तर दिशा में काबिज होकर शान्ति पूर्वक काश्त कर रहे है प्रार्थी अपनी आराजी के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओ को लेने की वजह से अपनी आराजी का राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त किया तो जानकारी मिली कि राजस्व कर्मचारियों के द्वारा बन्दोबस्त प्रक्रिया के दौरान लापरवाही पूर्ण तरीके से नक्शा बनाते समय प्रार्थी के हाल खसरा नम्बर 2706/2952/0.82 को पूरब दिशा में और अप्रार्थी संख्या 2 के हाल खसरा नम्बर 2706/1.33 पश्चिम दिशा में प्रदर्शित करके भारी भूल की गई है जबकि प्रार्थी नक्शा में व मौका कब्जा के आधार पर दक्षिण दिशा की तरफ अप्रार्थी संख्या 2 मौका कब्जा के आधार पर उत्तर दिशा में काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी के द्वारा राजस्व कर्मचारियों को उक्त नक्शे में की गई गलती को बताया तो उन्होने कहा कि आप सक्षम न्यायालय में जाकर नक्शा में संशोधन कराने की कार्यवाही करें। प्रार्थी का उक्त प्रकरण हाल नक्शा में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा की

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

गई त्रुटि को शुद्ध करने के बाबत पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि हाल नवीन नक्शा में दर्ज प्रार्थी के खसरा नम्बर 2706/2952/0.82 जो पूरब दिशा में स्थित है को मौके व कब्जे के आधार पर नवीन नक्शा में दुरूस्त कर दक्षिण दिशा में प्रदर्शित कर शुद्ध किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 2 के हाल नवीन नक्शा में दर्ज खसरा नम्बर 2706/1.33 जो पश्चिम दिशा में स्थित है को मौके व कब्जे के आधार पर दुरूस्त कर उत्तर दिशा में संशोधित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आये मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 22/02/2022 को इस आशय की पेश की कि ग्राम बमनवाडी के आराजी खसरा नम्बर 2706/2952/0.82, 2706/1.83 के मौके पर पहुंचा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड नक्शा के खसरा नम्बर 2706/2952/0.82 पूरब दिशा की तरफ बना हुआ है तथा इस्लाम पुत्र मुद्दन जाति मेव निवासी ग्राम थलचाना के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 2706/1.33 पश्चिम दिशा की तरफ बना हुआ है तथा हसमल पुत्र भागमल खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु मौके पर जाकर आराजी खसरा नम्बर 2706/2952/0.82, 2706/1.33 की स्थिति देखी गई तो उसमें उत्तर दिशा की ओर खसरा नम्बर 2706/1.33 पर हसमल पुत्र भागमल जाति मेव व थलचाना काबिज काश्त है। मौके पर गेहूँ की फसल खडी हुई है तथा दक्षिण दिशा की ओर खसरा नम्बर 2706/2952/0.82 पर इस्लाम पुत्र मुद्दल जाति मेव निवासी थचलाना काबिज काश्त है। मौके पर सरसों की फसल खडी हुई है। मौके पर मौका रिपोर्ट तैयार की गई तथा दोनो पक्षों व उपस्थित व्यक्तियों के अंगूठा/हस्ताक्षर कराये गये ।

अप्रार्थी संख्या 2 मय वकील न्यायालय में उपस्थित आया। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये जवाब इस आशय का पेश किया कि नवीन नक्शे में दर्ज प्रार्थी के खसरा नम्बर 2706/2952/0.82 पूरब दिशा में स्थित है को मौके कब्जे व पूर्व नक्शे के आधार पर नवीन नक्शा में दुरूस्त कर दक्षिण दिशा में प्रदर्शित कर शुद्ध किया जावे तथा मुझ अप्रार्थी संख्या 2 के हाल खसरा नम्बर को नवीन नक्शा दर्ज खसरा नम्बर 2706/1.33 जो पश्चिम दिशा में स्थित है को मौके व कब्जे काश्त के आधार पर शुद्ध कर उत्तर दिशा में संशोधित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया ।

हमने बहस पर मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब/मौका पर्चा रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण नक्शा शुद्धि का है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 2706/2952/0.82 प्रार्थी एवं खसरा नम्बर 2706/1.33 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट मौके पर भी इसी अनुसार खातेदार काबिज है। मुताबिक मौका स्थिति के खसरा नम्बर 2706/2952/0.82 खसरा नम्बर 2706/1.33 के दक्षिण की ओर है। जिसमें प्रार्थी काबिज है। इसी प्रकार आराजी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 2706/1.33, खसरा नम्बर 2706/2952/0.82 के उत्तर की ओर है। जिस पर अप्रार्थी काबिज है। परन्तु नक्शे की स्थिति विपरीत है। वर्तमान नक्शे में बन्दोबस्त विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2706/2952/0.82 के पूर्व की ओर खसरा नम्बर 2706/1.33 को दर्शाया है। वर्तमान नक्शे में बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया नक्शा निर्मित करते समय मौके का निरीक्षण नहीं किया गया और नवीन नक्शे में दोनो खसरा नम्बरो को आपस में कब्जे के विपरीत दर्शा दिया है। इस तथ्य पर अप्रार्थी संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा तरमीम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। मुताबिक मौका स्थिति के खसरा नम्बर 2706/2952/0.82 को खसरा नम्बर 2706/1.33 के दक्षिण की ओर दर्शाया जावे। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 15.02.2022 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 22/02/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)